न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 866/2021 निर्णय दिनांक :– .1 .2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थी–

उपस्थिति :–
तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल. आर. एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रशासन गांवो के संघ अभियान–2021 केम्प ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुई। तहसीलदार देवली द्वारा ग्राम राजकोट तहसील देवली के खसरा नम्बर 2389 में से बेरवा ढाणी से [illegible] की ओर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित ख. नं. 2389 सिवायचक होने व अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं होने के कारण तलबी जारी नहीं की गई।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संघ–2021 केम्प ग्राम पंचायत में बहस हेतु तहसीलदार को तलब किया गया ।

तहसीलदार देवली ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना कथन किया कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर किसी भी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं है और उक्त खसरा नम्बरो में रास्ता बना हुआ है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त खसरा नम्बरो में से रास्ते के रूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित करे।

तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उंचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम राजकोट पटवार हल्का राजकोट तहसील देवली जमाबन्दी सम्वत 2075-78 दर्ज ख. नं. 2389 रकबा 2.91 है0 भूमि जो कि सिवायचक [illegible] भूमि है, में से 0.26 है0 भूमि को नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ता अनुमत किया जाता है। तहसीलदार देवली निर्णयानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में केम्प ग्राम पंचायत [illegible] में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner